निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन 1945 (श0)

(सं0 पटना 818) पटना, मंगलवार, 10 अक्तूबर 2023

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

9 अक्तूबर 2023

सं० 9/सै0–लगान निर्धारण–03/2022–2979(9)––बिहार राज्य अंतर्गत कई जिलों के नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत क्षेत्र में म्युनिसिपल सर्वे के दौरान भूमि का लगान तालिका (Rent Roll) तैयार नहीं होने एवं रैयतों के लगान निर्धारण नहीं रहने के कारण उक्त भूमि का राजस्व वसूली नहीं हो पा रही है, क्योंकि नगरीय क्षेत्र के भूमि लगान के निर्धारण की शक्ति भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अथवा अन्य पदाधिकारी को नहीं है। इन नगर निकायों में भूमि की बिक्री हो रही है अथवा भूमि का बंटवारा कर मूल रैयतों के वंशजों को भूमि हस्तान्तरण हो रही है परन्तु लगान निर्धारण नहीं रहने के कारण नामान्तरण (म्यूटेशन) एवं जमाबंदी सृजन का कार्य भी नहीं हो पा रहा है और राजस्व वसूली कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः राज्य के राजस्व हित में नगर निकायों के छूटे हुए वार्डो के रैयतों का लगान निर्धारण हेतु लगान तालिका (Rent Roll) तैयार किया जाना अपेक्षित है।

2. विभिन्न जिलों के नगर निकायों के म्युनिसिपल खतियान में रैयतों का लगान तालिका (Rent Roll) तत्कालीन दर के अनुसार खतियान सम्पुष्टि के दौरान कतिपय कारणों से तत्कालीन म्युनिसिपल सर्वे सुपरीटेंडेन्ट के द्वारा नहीं किया गया। यह खतियान सम्पुष्टि का कार्य इन नगर निकायों के लिए चालीस–पचास वर्ष पूर्व हुआ है और इस अवधि में भूमि का विखंडीकरण एवं अन्तरण के कारण इन रैयतों द्वारा लगान निर्धारण एवं नामान्तरण हेतु आवेदन दिये जा रहे हैं परन्तु खतियान के लगान तालिका (Rent Roll) हेतु वर्तमान में कोई सक्षम प्राधिकार निर्धारित नहीं रहने के कारण लगान निर्धारण एवं नामान्तरण का कार्य अवरूद्ध है। इससे सरकार के राजस्व हित की हानि के अतिरिक्त रैयतों में भी भूमि पर स्वामित्व के प्रश्न पर विवाद उत्पन्न हो रहें है और रैयतों में विक्षुब्धता भी है।

3. बिहार राज्य अंतर्गत अवस्थित विभिन्न नगर निकायों में म्युनिसिपल सर्वे के पश्चात् वार्डवार खतियान तैयार किया गया है। म्युनिसिपल सर्वे खतियान में लगान निर्धारण का कोई कॉलम नहीं है। साथ ही लगान का दर भी अंकित नहीं है जिसके कारण कुछ खातों का लगान निर्धारण हुआ और कुछ खातों का लगान निर्धारण नहीं हुआ। उक्त वर्णित स्थिति में निर्णय लिया गया है कि म्युनिसिपल सर्वे के पश्चात वार्डवार तैयार खतियान सम्पुष्टि

के समय में प्रवृत समतुल्य भूमि के लगान दर पर लगान तालिका (Rent Roll) तैयार करने हेतु एक बार के लिए उक्त क्षेत्र के अपर समाहर्त्ता को म्युनिसिपल सर्वे सुपरीटेंडन्ट की शक्ति प्रदान की जाती है।

4. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि लगान तालिका (Rent Roll) केवल रैयती खाता, खेसरा हेतु तैयार किया जायेगा, जो तत्समय के म्युनिसिपल खतियान में दर्ज है। सरकारी भूमि **(गैरमजरूआ आम, गैरमजरूआ खास, गैरमजरूआ मालिक, खास महाल व कैसरे–हिन्द)** का लगान निर्धारण नहीं किया जायेगा।

5. यह लगान निर्धारण तालिका केवल उन्हीं रैयती खाता/खेसरा/रकवा के लिए होगी जो म्युनिसिपल सर्वे खतियान में दर्ज है न कि जो रजिस्टर–II या वर्तमान में होल्डिंग पंजी में दर्ज है अर्थात् केवल म्युनिसिपल सर्वे रैयती खतियानी खेसरों की ही लगान तालिका तैयार की जायेगी और जो उनसे बाद में अन्तरण से होल्डिग/खेसरा/जमाबंदी सृजित हुई है उनमें समानुपातिक लगान स्वतः निर्धारित की जा सकेगी।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्रा,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 818-571+10-डी0टी0पी0 ।
Website: http://egazette.bih.nic.in